Paytm को NPCI से मिला थर्ड-पार्टी लाइसेंस

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में मल्टी-बैंक मॉडल के तहत **थर्ड-पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर (TPAP)** के रूप में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस में भाग लेने के लिये Paytm के मालिक One97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड को मंज़ूरी दे दी है।

- एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और यस बैंक Paytm के लिये भुगतान प्रणाली प्रदाता (Payment System Provider- PSP) बैंकों के रूप में कार्य करेंगे।
    - पहले, Paytm अपने स्वयं के भुगतान बैंक लाइसेंस के माध्यम से संचालित होता था। हालाँकि नियामक गैर-अनुपालन के कारण **RBI ने Paytm पेमेंट्स बैंक पर कई प्रतिबंध लगाए।**
- TPAP ऐसी संस्थाएँ हैं जो ग्राहकों और व्यापारियों को एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़कर UPI भुगतान की सुविधा प्रदान करती हैं।
    - ये मध्यस्थ के रूप में कार्य करती हैं, निर्बाध लेन-देन सुनिश्चित करती हैं और UPI ईको-सिस्टम में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए प्रतिदिन लाखों लेन-देन संभालती हैं।
- भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत RBI और भारतीय बैंक संघ के बीच सहयोग से गठित NPCI भारत के भुगतान एवं निपटान अवसंरचना को बढ़ाने के लिये एक गैर-लाभकारी इकाई के रूप में कार्य करती है।
    - इसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र को भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों भुगतान समाधान प्रदान करना, परिचालन दक्षता बढ़ाने तथा भुगतान प्रणाली की पहुँच का विस्तार करने के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है।

और पढ़ें: **RBI ने Paytm पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगाया**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/paytm-gets-third-party-licence-from-npci